न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 4/2016

बउनवानः—

1. परमानन्द
2. शंम्भूदयाल
3. रामरतन पुत्र अर्जुन लाल मीना निवासी बोरदा व खानपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. मथुरा पुत्र भैरिया जाति मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल
2. रामगोप उर्फ रामगोपाल पुत्र चतरा मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल
3. रूपचंद पुत्र
4. सोहनलाल पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दायरा दिनांकः 07.01.2016 निर्णय दिनांक : 30.08.2019

वकील वादीगण : श्री रामस्वरूप नागर

वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरदा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील मांगरोल में आराजी खसरा नं0 471 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 480 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 521 रकबा 0.22 हे0 स्थित है, जो कि विवादित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 होना स्वीकार नहीं है जमाबंदी सम्वत 2063—2066 ग्राम बोरदा में अर्जुन पुत्र हीरा हिस्सा 1/2 गलत दर्ज है हीरा प्रार्थीगण के परिवार से ही है हीरा की मृत्यु करीब 90 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हो गयी थी, हीरा ला औलाद फोत हो गया था तथा उनकी पत्नि ने ग्राम खानपुरिया में मथुरालाल व हीरालाल की पत्नि के नुत्फे से प्रार्थीगण के पिता अर्जुन का जन्म हुआ, अर्जुन का जन्म ग्राम खानपुरिया तहसील मांगरोल में हुआ था अर्जुन की मृत्यु करीब 14 वर्ष पूर्व ग्राम खानपुरिया में हो गयी है प्रार्थीगण अर्जुन के वैधानिक पुत्र है अर्जुन पुत्र मथुरा जाति मीणा निवासी खानपुरिया में खाता संख्या 5 में खसरा नं0 207 रकबा 0.48 है0

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

राजी दर्ज है प्रार्थीगण अर्जुन का वैधानिक पुत्र होने बाबत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मऊ पंचायत समिति अंता दिनांक 06.06.2011 है, जिससे प्रार्थीगण को अर्जुन का वैधानिक पुत्र बताया गया है राजस्व अधिकारियों से मिलकर अर्जुन ने अपनी वल्दीयत को बदलकर हीरा का पुत्र बनकर उक्त विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज कराया है जो सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंन्ध नही है उनका केवल अधिकार अर्जुन पुत्र मथुरालाल की जो खानपुरिया में चल व अचल सम्पत्ति में ही नियत है ग्राम बोरदा की उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण का कोई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध नही है। हीरा की पत्नि हीरा के देहान्त के बाद करीब 90 वर्ष पूर्व खानपुरिया में मथुरालाल के साथ नाता विवाह कर लिया था, नाता विवाह के बाद प्रार्थीगण के पिता अर्जुन का जन्म मथुरालाल व हीरालाल की पत्नि के नुत्फे से हुआ प्रार्थीगण के पिता अर्जुन का नाम मथुरालाल की मृत्यु के बाद ग्राम खानपुरिया की आराजी पर आया जिसका वर्णन उपर किया जा चुका है प्रार्थीगण के पिता अर्जुन की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण अर्जुन की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के वारिस है। अतः अप्रार्थी कम 1 ता 4 के पक्ष में व प्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करें कि प्रार्थीगण व उनके वैध प्रतिनिधि आराजी खसरा नं0 471 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 480 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 521 रकबा 0.22 है0 ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल को रहन बैचान व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करेंगे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 07.01.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से आज दिनांक तक कोई उपस्थित नही।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन, मनन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को ही पाबंद किया जावे तथा अप्रार्थीगण के हित में डिक्री जारी की जावें। जो कि प्रार्थना पत्र के विरोधाभासी है अतः प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को सरेइजलास में सुनाया गया।

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल